परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

(परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय, भारत सरकार)

By Email.

ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY

(An Autonomous Body under Department of Atomic energy, Govt. of India)

ANUSHAKTINAGAR, MUMBAI – 400094

प.ऊ.शि.सं./लेखा/वेतन/आयकर/2022-23/
AEES/ACCTS/SALARY/I.Tax/2022-23/

27 जून, 2022
June 27, 2022

विषय/Sub: **वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्रोत पर आयकर की वसूली की गणना में विचार की जाने वाली बचतों का विवरण |**

Details of savings to be taken into account for computation recovery of Income Tax at source for the financial year 2022-23.

वर्तमान में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुमानित आय के आधार पर कर्मचारियों से अस्थायी रूप से आयकर की कटौती की जा रही है। कर्मचारी जिन्होंने विकल्प-ए (पुरानी कर व्यवस्था) का चयन किया है उन्हें संलग्न प्रारूप में केबल अपनी बचतों/प्रस्तावित बचतों का विवरण भरकर संबंधित प.ऊ.कें. विद्यालय/कनिष्ठ महाविद्यालय के प्रमुखों के माध्यम से 10 अगस्त, 2022 तक सहायक लेखा अधिकारी (वेतन), केंद्रीय कार्यालय के पास जमा करना अपेक्षित है। संशोधित किश्त के साथ आयकर की वसूली सितम्बर, 2022 के मासिक वेतन से प्रभावी होगी। विकल्प-बी (नयी कर व्यवस्था) का चयन करने वाले कर्मचारियों को विस्तृत बचत प्रारूप भरने की आवश्यकता नहीं है।

At present the income tax is being provisionally recovered from the employees based on the estimated income of the current financial year 2022-23. The employees who have opted Option-A (old regime) are only required to furnish the details of their savings / proposed savings in the enclosed format and submit the same to AAO(Salary), Central Office by 10th August 2022 through respective heads of AEC Schools/JC. Recovery of TDS at revised installment will be effected from the monthly salary to be drawn from September 2022. The employees selected Option-B (new regime) are need not to fill the detailed savings formats.

घोषणा और वास्तविक/प्रस्तावित बचतों के दस्तावेजीय प्रमाण के लिए फोटो प्रतिलिपियाँ सत्यापन के लिए तुरंत संबंधित विद्यालयों, कनिष्ठ महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों एवं केंद्रीय कार्यालय के सहायक लेखा अधिकारी (वेतन) को प्रस्तुत करें या उपलब्ध कराएँ। कर्मचारी जो धारा 24 अर्थात मकान संपत्ति **(केवल एकल मकान संपत्ति)** से आय के तहत छूट का दावा कर रहे हैं, वे अपेक्षित समर्थक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र 12 सी में अपनी घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। समर्थक दस्तावेजी साक्ष्यों या आवश्यक प्रमाणपत्रों के बिना की गई घोषणा अविधिमान्य और अस्वीकृत हो सकती है।

Declaration & photocopies showing the documentary proof of actual/proposed savings shall be furnished or made available to Principals of respective Schools, Junior College & AAO(Salary) of Central Office immediately for verification. The employees who are claiming deduction under section 24 i.e. Income from House property **(single house property only)** may submit their declaration with required supporting documents in prescribed Form 12C. Declaration without supporting documentary evidence or requisite certificates is invalid and will be liable for rejection.

यदि निर्धारित समयावधि के अंदर अपेक्षित फोटो प्रतिलिपियों/मूल दस्तावेजों के साथ कर्मचारियों से घोषणा प्राप्त नहीं होती हैं तो आयकर की गणना संबंधित वेतन अनुभाग के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर की जाएगी और उसी प्रकार से आयकर की वसूली की जाएगी।

If declaration is not received from employees with required photocopies/original documents within stipulated time limit, the income tax will be calculated on the basis of available information to salary section & recovery of Income Tax will be effected accordingly.

आयकर अधिनियम की धारा 139ए के अनुसार कर-योग्य आय करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को फॉर्म नं. 49ए में स्थायी खाता संख्या (पैन) प्राप्त करना और संबंधित वेतन अनुभाग में पैन कार्ड संख्या समाविष्ट करना अनिवार्य है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी प्रेस सूचना सं. 402/92/2006-एमसी (04 of 2010) दिनांकित 20.01.2010 के अनुसार पैन नंबर न देने वाले व्यक्तियों से निर्धारित दर अर्थात 20% की दर से आयकर कटौती की जाएगी।

As per section 139A of Income Tax Rules, all the employees must have Permanent Account Number (PAN) in Form No.49A and the same is to be incorporated in the salary records. As per press release No.402/92/2006-MC (04 of 2010) dated 20-01-2010 issued by Central Board of Direct Taxes, income tax at prescribed rate i.e. 20% or the double the rate as applicable, will be deducted where PAN of the individual concerned is not made available.

आयकर नियमावली की धारा 89(1) के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष (सभी कर्मचारीयों को दिए गए बकाया राशि विवरण के अनुसार) में पूर्व वर्षों के लिए प्राप्त बकाया राशि (सभी वेतन,प्रिस अदि) पर राहत का दावा वेबसाइट **"incometaxindiaefiling.gov.in"** पर दिए फॉर्म 10ई के लिंक पर ऑनलाइन प्रकिया के माध्यम से व्यक्तिगत आयकर विवरणी भरते समय करना होगा।

In terms of section-89(1) of Income Tax rules, relief on the arrears (all Pay, PRIS etc.) received for the previous years during the current financial year (as per the arrears statement provided to all the employees) shall be claimed while filing individual Income Tax returns through online procedure on the given link of Form 10E on the website **"incometaxindiaefiling.gov.in"**

Contd. P.No.........2

सभी परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय प्रमुखों से निवेदन है कि इस परिपत्र के अनुपालन हेतु इसकी विषय-वस्तु को अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों को अवगत करा दें और विकल्प-ए (पुरानी कर व्यवस्था) का चयन करने वाले कर्मचारियों को उनके आयकर निर्धारण करते समय अपेक्षित समर्थक दस्तावेजों की फोटो प्रतिलिपियों के साथ समय से घोषणा जमा करने हेतु सूचित करें तथा उसी अनुसार मासिक वेतन से आयकर वसूली करें। साथ ही संबंधित कार्यालय लिपिक को भी निर्देशित करें कि वेतन अनुभाग में अग्रेषित करने से पूर्व वे संबंधित कर्मचारी द्वारा जमा घोषणा व समर्थक दस्तावेजों का सत्यापन करें और सभी प्रकार से पूर्ण कर लें। यदि नियत तिथि तक अपेक्षित दस्तावेजों सहित कोई घोषणा प्राप्त नहीं होती है तो मौजूदा दरों से आयकर कटौती की जायेगी और कोई संशोधन नहीं होगा। आयकर राशि की वापसी यदि कोई हो, के लिए कर्मचारी को स्वयं आयकर विभाग से दावा करना होगा।

Heads of AEC Schools/JC at Mumbai are requested that the contents of this circular may be brought to the notice of all employees working under their control for compliance and inform the employees who have opted Option-A (old regime) to submit their declaration in time along with supporting required photocopies of documents while assessing their income tax and accordingly effect TDS recovery through monthly salary. Concern office clerk may be instructed to verify the declaration with supporting documents submitted by respective employee and is complete in all respect before forwarding to salary section. If no declaration with required documents received till due date, TDS will be recovered as per existing rates and no revision will take place. Refund of TDS if any be claimed from Income Tax Department by individual employee.

यह परिपत्र परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।
This issues with the approval of competent authority in AEES.

संलग्न/Encl: उपरोक्तानुसार/as above

(ज्योति अ. पेंटे/JYOTI A PENTE)
लेखा अधिकारी/Accounts Officer

सभी प.ऊ.कें. विद्यालयों/ कनिष्ठ महाविद्यालय के प्रमुख
सभी अनुभाग प्रमुख, प.ऊ.शि.सं., मुंबई
Heads of All AEC Schools/JC
All Section Heads of AEES, Mumbai.

प्रतिलिपि
Copy to

1. अध्यक्ष, स्था.प्र.स., प.ऊ.कें.वि./क.म.वि./Chairman LMC, AECS/AEJC

प्रतिलिपि सूचनार्थ-
Copy for information to:

1. अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं./Chairman , AEES
2. सचिव, प.ऊ.शि.सं./Secretary, AEES
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प.ऊ.शि.सं./CAO,AEES